फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

ग्रा.पं. आयों का खेड़ा विपक्षी सरकार

मुकदमा प्रा०प० पत्रावली संख्या 2024/337 पद

मांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
6/25	-आदेश- मामले में प्रार्थी द्वारा जरिये अधि: प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव मडका पटवार हल्का चिकलवास तहसील नाथद्वारा में कृषि भूमि आराजी संख्या 2388/654 रकबा 0.2782 है. किस्म आबादी स्थित है। उपरोक्त कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। उक्त आराजी को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटन की गई थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे सनमफशुद-तरिके से नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया गया जबकि राजस्व कर्मचारियों को आरक्षित अनुसार ही राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करना था- परन्तु नक्शा ट्रेस में अशुद्ध अंकन को शुद्ध किया जाना आवश्यक है। आराजी संख्या 2388/654 को ग्राम पंचायत आयों का खेडा के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित भूमि है, जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन नक्शा ट्रेस मे राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश अशुद्ध अंकन किया जबकि राजस्व कर्मचारियों को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित अनुसार ही अमल दरामद किया जाना था परन्तु अशुद्ध अंकन नक्शा ट्रेस के अंकन को शुद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों को उक्त अशुद्ध को अंकन को शुद्ध करने के लिये कहा तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ही उक्त अशुद्ध नक्शा ट्रेस को शुद्ध करना जाहिर किया जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी	

संख्या 2388/654 को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस मे शुद्धि किये जाने के आदेश प्रदान फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण मे विपक्षी द्वारा अपने पत्र क्रमांक:- राजस्व/2025/357 दि. 27/3/25 द्वारा प्रकरण मे रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि आराजी नम्बर 2388/654 रकबा 0.2782 है. किस्म आबादी पटवार मण्डल सिकमवाल ग्राम मडका मे दर्ज है। दि. 19-12-10 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा के आदेश क्रमांक एफ () राजस्व/2010/28 दि. 19-12-10 को पत्रावली संख्या 77/2010 प्रशासन गांवो के संग अभियान में आराजी संख्या 654 रकबा 17 बीघा से 1.02 व 0.10 बीघा का ग्राम पंचायत कोयो का खेडा को आबादी विस्तार के लिए आवंटन हुआ तथा आवंटन प्रस्ताव अनुसार ही पटवारी हल्का द्वारा ना.क.स. 676 दि. 22-12-2011 को अमल दरामद किया। आवंटन अनुसार ही नवीन आराजी नं 2388/654 रकबा 1.02 बीघा अर्थात- 0.2782 है. ऑन लाईन नक्शे में दर्ज हुआ किन्तु मौका अनुसार आराजी 2388/654 रकबा 0.2782 है. नं.654 मे से नवीन आराजी 2388/654 रकबा 0.2782 नं. 654 मे से नवीन आराजी संगमन नक्शा पर वर्तमान में आबादी बनी हुई नही है तथा संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी सं. 654 मे ही भिन्न जगह पर आबादी बसी हुई है। उक्त आवंटन के समय आराजी व. 676 से आबादी विस्तार के लिए जो प्रस्तावित की थी व त्रुटि से बसी हुई आबादी मे नही होकर नवी आराजी में पडत नगरी पर प्रस्तावित कर दी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन व चिन्तन किया गया, पत्रावली व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मामले मे वादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया कि उक्त आबादी भूमि प्रार्थी को कब व कैसे प्राप्त हुई एवं ना ही भूमि आवंटन के प्रस्ताव से संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति ही प्रस्तुत की गयी है जिससे यह स्पष्ट हो कि वास्तव मे नक्शे ट्रेस मे त्रुटि हुई है अथवा नही इसके खण्डन मे विपक्षी ने जाहिर किया है कि प्रार्थी को उक्त भूमि प्रशासन गांवो के संग

 —निरन्तर—

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

.... विपक्षी ....

मुकदमा .... पत्रावली संख्या .... पद..........................

क	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	अभियान के दि. 19/12/10 को आबादी विस्तार का आवंटन के जरिये प्रार्थी को प्राप्त हुई। और आवंटन के अनुसार ही आवंटित भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व नक्शा ट्रेस मे तरमीम की गई है किन्तु मौके पर आवंटित भूमि पर आबादी बसी नही होकर मुज आ. सं. 654 मे अन्यत्र बसी हुई है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध नही कर पाया है और नक्शा ट्रेस मे आवंटन प्रस्ताव के आदेश अनुसार ही तरमीम हुई है किन्तु मौके की स्थिति भिन्न होने से प्रार्थी निराधार तथ्यो के आधार पर स्वच्छ हाथो से प्रार्थना पत्र नही लाया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होकर विधि से वर्जित है। **आदेश** अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। [signature] सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द	